

an>

Title: Need to increase Lal Dora of villages situated in Delhi.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। दिल्ली के गांव के लोग दिल्ली के सबसे पुराने बाशिन्दे हैं, मगर फिर भी दिल्ली के गांव के लोगों को अपने घर, लाल डोरा बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

पिछले 10 दिनों से घेवरा मोड़ पर सारे किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि उनके गांव का लाल डोरा बढ़ना चाहिए। सैक्शन 74(4) के अंतर्गत किसानों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। धारा 81(33) को खत्म करना चाहिए, मगर दिल्ली सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। भारत सरकार से किसानों को जो स्कीम मिलती है, जो फायदा देश भर के किसानों को मिलता है, वह फायदा दिल्ली के किसानों को नहीं मिलता है, क्योंकि 2008 में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में किसान का दर्जा खत्म कर दिया था। पिछले 13 सालों में दिल्ली में किसान का दर्जा नहीं दिया गया, इसलिए न उनको बढ़ा हुआ मुआवजा मिलता है, न बढ़ा हुआ फसलों का दाम मिलता है। आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा कि घुमनहेड़ा गांव में 70 गायें मारी गईं। दिल्ली सरकार ने जिस एनजीओ को वह ठेका दिया हुआ था, वहां के विधायक ने वहां की गौशाला पर कब्जा किया हुआ था। उनकी नाकामी की वजह से वहां पर गायों की मौत हुई है। मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार दिल्ली सरकार से बात करे कि दिल्ली के गांव की तरफ वह कुछ ध्यान दे, ताकि उनको मूल भूत सुविधायें मिल सकें। दिल्ली के गांवों का लाल डोरा बढ़े। कैर, झड़ोदा, डिचाउ, बडूसराय, लाडपुर जैसे कई गांवों का लाल डोरा बढ़ना है, जो दिल्ली सरकार नहीं बढ़ा रही है।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।